

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/4917

दिनांक:- 08/01/2020

आदेश संख्या:- 221/2019-20

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 06 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र. स.	लिंक नं	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	अतिरिक्त कार्य का विभाग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	12892	भूपेश चन्द्र जोशी	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उदयपुर।	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, उदयपुर	रिक्त पद पर
2	12629	रामधन मीणा	निदेशक, एचसीएम रीपा, ओटीएस, जयपुर।	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
3	13219	जीवनधर गुप्ता	निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, जयपुर।	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
4	12257	महेन्द्र कुमार मण्डावरिया	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
5	12392	विजय कुमार	ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
6	12286	राकेश रोशन मीणा	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
7	11716	जितेन्द्र कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, जयपुर	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
8	43386	राजूलाल जोगी	आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर।	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
9	13043	मनोज सैन	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
10	12402	भरत सिंह राणावत	आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
11	12461	मुकेश कुमार मीणा	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
12	13144	सीमा पटेल	सरदार पटेल पुलिस (दाण्डिक एवं न्यायिक) विश्वविद्यालय, जोधपुर।	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।	रिक्त पद पर

उक्त कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/4917

दिनांक:- 08/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
- कोषाधिकारी।
- संबंधित कनिष्ठ लेखाकारों निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट से अवगत करावें।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पी.आई.एस. (COINS) पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)